न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–80/2019

बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा बनाम ~~[illegible]~~ पंकज कुमार पासवान

आदेश की कम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18.10.2019	(आदेश नीचे)	

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा के पत्रांक 405/उ0 दिनांक 26.03.19 से प्राप्त उत्पाद वाद कांड सं0–199/19 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जब्त मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–**BR07AB-4457** को राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी, जिसमें दिनांक 28.06.2019 को उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् हेतु आदेश पारित है।

इसी क्रम में वाहन स्वामी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर–11595/2019 में दिनांक 05.09.2019 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन, बंध पत्र के साथ वाहन स्वामित्व से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति तथा एक प्रतिभूति दाखिल किया गया है। प्रतिभूति के रूप में राम बालक पासवान, पिता–डोमू पासवान, ग्राम+पो0–शुभंकरपुर, थाना–नगर, जिला–दरभंगा का वाहन मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–**BR07AE-4338** कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–56,040/- (छप्पन हजार चालीस) रुपये मात्र का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य मो0–35,961/- (पैंतीस हजार नौ सौ एकसठ) रुपये मात्र है।

दाखिल सभी कागजात विद्वान् अधिवक्ता एवं विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित हैं, जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

अतएव वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कागजात तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–11595/2019 में दिनांक 05.09.2019 को पारित आदेश के आलोक में उत्पाद वाद संख्या–199/19 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में जब्त वाहन मोटरसाईकिल पंजीयन सं0– **BR07AB-4457** को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

पारित आदेश की प्रति वाहन विमुक्ति हेतु अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को प्रस्तुत कागजात एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की छायाप्रति के साथ अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।